for formulation of State and district level action plans for dealing with such situations. The relief and rehabilitation measures are financed by a Calamity Relief Fund (CRF) which is contributed by the Government of India to the extent of 75%.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) and (f) Government of India has so far released three instalments of Central share of CRF amounting to Rs. 36.21 crores during 1995-96 to the Government of Maharashtra for undertaking relief measures in areas affected by natural calamities including drought.

कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल

1240. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री नागमणि:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) देश में सिंचित भूमि, अर्ध-सिंचित भूमि और पूर्णतः वर्षा पर निर्भर भूमि का क्षेत्रफल कितना-कितना है;

(ग) क्या चालू योजना के दौरान सिंचित और अर्ध-सिंचित भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है; और

(घ) इस संबंध में पूर्ण योजना अवधि के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) भूमि उपयोग के अभिलेखों के अनुसार, 1992-93 के दौरान (नवीनतम उपलब्ध वर्ष) देश में कृषि योग्य कुल भूमि 184.4 मिलियन हैक्टेयर थी।

(ख) 1992-93 के भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार, देश में 142.51 मिलियन हेक्टेयर निवल बुआई क्षेत्र में से वास्तविक सिंचित क्षेत्र 50.10 मिलियन हेक्टेयर तथा असिंचित या वर्षा सिंचित क्षेत्र 92.41 मिलियन हैक्टेयर था।

पानी के उपयोग की प्रबलता पर आधारित आंशिक तौर पर सिंचित क्षेत्र के संबंध में आंकड़े भूमि उपयोग आंकड़ों के अन्तर्गत एकत्रित नहीं किये जाते हैं।

(ग) चालू पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

(घ) अतिरिक्त सिंचाई की संभावना के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1992-97 के दौरान रखा जाने वाला लक्ष्य 15.8 मिलियन हेक्टेयर निर्धारित किया गया।

कपास की फसल को कपास के कीड़ों से नुकसान

1241. **श्री रामजीलाल:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कपास की फसलों पर एक ऐसा कपास का कीड़ा लगा है जिस पर कीटनाशकों का असर नहीं होता;

(ख) सरकार ने इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इससे हुए नुकसान की भरपाई हेतु किसानों को राहत पहुंचाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी हां। चालू मौसम के दौरान कपास की फसलों में अमरीकी बालवार्म नामक कीड़ा लगने की कुछ घटनाओं के बारे में सरकर को जानकारी है। इस कीड़े पर कुछ निश्चित कीटनाशकों का कोई असर नहीं होता।

(ख) इसको रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

(i) ऐसे किड़ों पर लगातार निगरानी रखना और सामयिक तथा उचित नियंत्रण उपायों को मानीटर करना।

(ii) समेकित कपास कीट प्रबंध को अपनाने के लिए विस्तार अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षण देना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संवर्धन प्रक्रियाओं को अपनाना तथा अधिमानतः गैर-रासायनिक साधनों का उपयोग भी शामिल है।

(iii) गुणवत्ता वाले कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था।

(iv) उपर्युक्त (क) को देखते हुए किसानों को क्षति की प्रतिपूर्ण के लिए राहत पहुंचाने का प्रश्न नहीं होता।